राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1093/2019

राजीव —अपीलार्थी

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 31.05.2024
आदेश की दिनांक : 13.12.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री मनीष सिंह तोमर, प्रभारी अधिकारी

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 09.01.2008 को कांस्टेबल के पद पर हुई थी। अपीलार्थी के पास एम.कॉम की डिग्री है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आदेश दिनांक 18.03.2016 (अनुलग्नक–1) द्वारा वर्ष 2014–15 के लिए अलवर जिले में हैड कांनिस्टेबल की 11 रिक्तियों के लिए आयोजित होने वाली योग्यता परीक्षाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अपीलार्थी ने पात्र हाने से अपना आवेदन समय पर प्रस्तुत किया परन्तु वह वरिष्ठता सूची में नीचे था और नियमों के अनुसार रिक्तियों के 10 गुना होने के कारण केवल 110 कांस्टेबल ही बैठने के योग्य थे, इसलिए अपीलार्थी का नाम एसपी अलवर द्वारा जारी 110 पात्र उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। सूचियों की प्रति अनुलग्नक–2 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी से कनिष्ठ किसी कांस्टेबल का नाम इस सूची में नहीं था, इसलिए सूची तथा तैयार की गई चयन सूची पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2016–17 की 106 रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना दिनांक 06.02.2017 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी ने भी अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी पात्र घोषित होने के बाद लिखित परीक्षा में शामिल हुआ और उसे आदेश दिनांक 15.07.2017 (अनुलग्नक–4) द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का

नाम क्रम संख्या 251 पर अंकित है। अपीलार्थी ने परीक्षा के भाग–I में भाग लिया और उत्तीर्ण घोषित होने पर भाग–II में भाग लिया और उत्तीर्ण घोषित किया गया लेकिन वरिष्ठता के क्रम में नीचे होने के कारण वह अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं हो सका। दिनांक 28.06.2018 को पुलिस महानिदेशक राजस्थान ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील में पारित निर्णय के अनुसरण में आदेश क्रमांक 12729–2850 जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को निर्देश दिया कि वर्षवार रिक्तियों का निर्धारण करने के पश्चात वर्ष 2009–10 के आगे के लिए तैयार की गई चयन सूचियों को पुनः तैयार करें (अनुलग्नक–5)। आदेश दिनांक 16.02.2019 (अनुलग्नक–6) द्वारा हैड कानिस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए चयनित कांस्टेबलों की वर्षवार सूची को संशोधित और पुनः तैयार किया। वर्ष 2014–15 की संशोधित चयन सूची के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के लिए पूर्व में निर्धारित हैड कांस्टेबलों की 11 रिक्तियों के स्थान पर 44 रिक्तियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। सूची से यह भी स्पष्ट है कि पूर्व में निर्धारित 11 रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व में चयनित 11 कांस्टेबलों के नाम को पुनः सम्मिलित किया गया है, जबकि 10 नाम वर्ष 2016–17 के लिए पूर्व में तैयार की गई सूची से तथा एक नाम वर्ष 2015–16 की सूची में सम्मिलित किया गया है। नीचे दिए गए नोट में यह भी अंकित किया गया है कि 6 कांस्टेबल, जिन्हें वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध समीक्षा बोर्ड द्वारा भी चयनित किया गया था, को वर्ष 2014–15 की चयन सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2014–15 के लिए वर्ष 2019 में पुनर्निर्धारित 44 रिक्तियों के विरूद्ध केवल 22 कांस्टेबलों का चयन किया गया है, जिससे वर्ष 2014–15 की 22 रिक्तियां अपूर्ण रह गयी है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में हैड कांस्टेबल की 44 रिक्तियों के लिए अर्हकारी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण माना जाए। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान करें।

प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी कानि. 1395 जिला अलवर जो दिनांक 9.1.2008 को कानि. के पद से जिला अलवर में भर्ती हुआ था। अपीलार्थी एम.कॉम तक पढा लिखा है। जिला अलवर में वर्ष 2014–15 के लिए 11 हैड कानि. के पदो की रिक्तियों के आदेश दिनांक 18.3.2016 को अधिसूचना जारी कि गई थी। अपीलार्थी पात्र होने पर समय पर आवेदन किया गया एवं नियमानुसार 10 गुणा बैठने के पात्र थे इसलिए

110 उम्मीदवारों में अपीलार्थी कनिष्ठ होने के कारण सूची में नही रखा गया। उक्त सूची में अपीलार्थी से कनिष्ठ कोई अभ्यर्थी नही था। वर्ष 2016–17 की हैड कानि. पद की 106 रिक्तियों में पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 06.02.2017 जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उसके बाद अपीलार्थी लिखित परीक्षा में शामिल होकर आदेश दिनांक 15.07.2017 के द्वारा सफल घोषित किया गया। अपीलार्थी परीक्षा के भाग–1 में शामिल होकर उत्तीर्ण घोषित किया गया व परीक्षा के भाग–2 में शामिल हुआ। अंत में सफल घोषित किया लेकिन वरिष्ठता में कम होने के कारण अंतिम चयन नही हो सका। श्रीमान महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा उच्च न्यायालय राज. जयपुर डबल बैंच स्पेशल अपील में जारी आदेशानुसार आदेश दिनांक 28.06.2018 के द्वारा वर्ष 2009–10 से चयन सूची को रिव्यू के आदेश किये गये। इसके परिणामस्वरूप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला अलवर द्वारा वर्षवार हैड कानि. की रिक्तियों में संशोधन कर संशोधित चयन कानिस्टेबल की वर्षवार सूची आदेश दिनांक 16.02.2019 जारी की गई। वर्ष 2014–15 में संशोधित सूची से पता चला कि वर्ष 2014–15 की रिक्त हैड कानि. की 11 रिक्तियों की बजाय 44 किया गया व 22 कानिस्टेबलों की चयन सूची तैयार की गई। इसमें निर्धारित 11 रिक्तियों के खिलाफ चुने गये 11 कानि. के नाम दोहराया गया है जबकि 10 नामों को वर्ष 2016–17 के लिए पहले तैयार की गई सूची से और एक कानि. को वर्ष 2015–16 की सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्ष 2014–15 के लिए वर्ष 2019 में निधारित 44 रिक्तियों के विरूद्ध वर्ष 2014–15 की 22 रिक्तियों को छोड कर 22 कानि. का चयन किया गया है। चूकी अपीलार्थी ने वर्ष 2014–15 के लिए पूर्व में निर्धारित 11 रिक्तियों के लिए आवेदन किया था लेकिन अपीलार्थी का वरिष्ठता कम होने के कारण पात्र घोषित 110 उम्मीदवारों की सूची में नाम शामिल नही किया गया जो बाद में संशोधित कर 11 से 44 रिक्तियां वर्ष 2014–15 के लिए कर दी थी इसीलिए 44 रिक्तियों के लिए हैड कानि. की चयनित सूची को संशोधित और सशोधित करने के दौरान बोर्ड में अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में बढी हुई रिक्तियों के लिए अभ्यावेदन देना चाहिए था लेकिन अपीलार्थी के द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा रिजोईन्डर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश दिनांक 16.02.2019 (अनुलग्नक–6) के द्वारा जारी वर्षवार चयन सूची को संशोधित और समीक्षा करने से पहले प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पुनर्निधारण के बाद समीक्षा बोर्ड आयोजित करने से पहले कोई पूर्व सूचना जारी नहीं की गई थी। आरपीएसएस

नियम के नियम 26 और 27 में पदोन्नति के लिए पात्रता और प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 26 के परंतुक (iv) में निर्धारित रिक्तियों के दस गुना अभ्यर्थियों को अर्हक परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र बताया गया है। इसलिए, जब समीक्षा बोर्ड ने वर्ष 2014–15 के लिए पूर्व में निर्धारित 11 रिक्तियों के स्थान पर 44 रिक्तियां निर्धारित की, तो बोर्ड 44 रिक्तियों के विरुद्ध 440 पदोन्नति उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए बाध्य था और उसे उन उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए था जिन्होंने 11 रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित पदोन्नति परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन विचार के दायरे में न आने के कारण उन्हें शामिल होने से मना कर दिया गया था। यदि उन्हें विचार के दायरे में नहीं रखा गया होता तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित होने पर, उन्हें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। इसलिए अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में हैड कांस्टेबल की 44 रिक्तियों के लिए अर्हकारी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किया जावे। अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण माना जाए।

हमने प्रत्यर्थी विभाग एवं अपीलार्थी को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2014–15 में हैड कांस्टेबल की 44 रिक्तियों के लिए अर्हकारी परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र घोषित किया जाने एवं अपीलार्थी को वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम के आधार पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के लिए परीक्षा उत्तीर्ण माना जाने तथा वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2016–17 की 106 रिक्तियों को भरने के लिए पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिसूचना दिनांक 06.02.2017 द्वारा अपीलार्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलार्थी योग्य घोषित होने के बाद लिखित परीक्षा में शामिल हुआ और उसे आदेश दिनांक 15.07.2017 द्वारा उत्तीर्ण घोषित किया गया। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची में अपीलार्थी का नाम 251 पर था। अतः वरिष्ठता में नीचे होने के कारण वह अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं हो सका। इससे पहले वर्ष 2014–15 की 11 रिक्ति हेतु आयोजित पदोन्नति परीक्षा में अपीलार्थी कनिष्ठ होने से 110 कार्मिकों की पात्रता सूची में शामिल नहीं किया गया था। महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर द्वारा उच्च न्यायालय राज. जयपुर डबल बैंच स्पेशल अपील में जारी आदेशानुसार आदेश दिनांक 28.06.

2018 के द्वारा वर्ष 2009–10 से चयन सूची को रिव्यू के आदेश किये गये। इसके परिणामस्वरूप महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर व पुलिस अधीक्षक जिला अलवर द्वारा वर्षवार हैड कानि. की रिक्तियों में संशोधन कर संशोधित वर्षवार चयन सूची आदेश दिनांक 16.02.2019 जारी की गई। इसमें वर्ष 2014–15 हेतु हैड कांस्टेबल की रिक्तिया 11 के बजाय 44 निर्धारित की गई एवं इसके विरूद्ध 22 कानिस्टेबलों का चयन पदोन्नति हेतु किया गया। इन चयनित 22 कांस्टेबलों में वर्ष 2014–15 की पदोन्नति परीक्षा में चयनित 11 कांस्टेबल शामिल किए गए एवं 10 नामों को वर्ष 2016–17 की चयन सूची से और एक कानि. को वर्ष 2015–16 की चयन सूची में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्ष 2014–15 के लिए वर्ष 2019 में पुनः निर्धारित 44 रिक्तियों के विरूद्ध 22 कानि. का चयन किया गया एवं 22 पर रिक्त छोड़े गये। अपीलार्थी का निवेदन है कि वर्ष 2014–15 के लिए पूर्व में निर्धारित 11 रिक्तियों के लिए आवेदन किया था लेकिन अपीलार्थी का वरिष्ठता उपलब्ध 11 पदों के दृष्टिगत कम होने के कारण पात्र 110 उम्मीदवारों की सूची में नाम शामिल नही किया गया। बाद में वर्ष 2014–15 के लिए रिक्तियां संशोधित कर 11 से बढाकर 44 कर दी थी। अतः अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 हेतु पात्र घोषित करने एवं वर्ष 2016–17 के उत्तीर्ण परीक्षा के आधार पर अन्य समान कार्मिकों की भांति वर्ष 2014–15 हेतु उत्तीर्ण मान कर वर्ष 2014–15 में पदोन्नति हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्ष 2014–15 की पुनः निर्धारित रिक्तियां 44 होने के आधार पर 440 पात्र कार्मिकों की सूची में कैसे आता है। अपीलार्थी द्वारा पत्रावली पर कोई वरिष्ठता सूची जारी नहीं की गई है और न ही यह स्पष्ट किया है कि उससे कनिष्ठ किसी कार्मिक की वर्ष 2014–15 की रिक्तियों की हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हुई है। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2015–16 में पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया अथवा नहीं इस संबंध में कोई विवरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2016–17 में पदोन्नति हेतु आयोजित योग्यात्मक परीक्षा में भाग लिया जाकर उत्तीर्ण होना उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रमाणित है जिसमें उसका नाम क्रमांक 251 पर अंकित है। अपीलार्थी इस योग्यात्मक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के आधार पर वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति चाहता है। यह सही है कि वर्ष 2014–15 में रिव्यू डीपीसी आयोजित किए जाने पर रिक्त पदों की संख्या 11 के स्थान पर 44 निर्धारित की गई है और रिव्यू डीपीसी में 22 पद भरे गये और 22 पर रिक्त रखे गये है। चयन बोर्ड की कार्यवाही विवरण के क्रम में जारी आदेश दिनांक 16.02.2019 के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है कि

कुल 44 पदों में से 11 पदों को रिक्त क्यों रखा गया है। परन्तु अपीलार्थी यह सिद्ध नहीं कर पाया है कि उससे कनिष्ठ किसी कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है और उससे पदोन्नति से वंचित रखा गया है। क्योंकि वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थी का नाम 251 पर है, जिसके आधार पर अपीलार्थी का वर्ष 2016–17 के पदों के विरूद्ध पदोन्नत होना नहीं पाया जाता है। अतः वर्ष 2014–15 में पदोन्नति देने का अनुतोष कतई स्वीकार योग्य नहीं है। अतः हम यह मानते है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)